ग्रामीण विकास विभाग - झारखण्ड सरकार

झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS)

संदर्भ - ADVERTISMENT NO PR 172390 (JSLPS) 17-18

NOTICE FOR FINAL MERIT LIST OF COMMUNITY COORDINATOR (T) under DAY-NRLM

ऊपर निर्दिष्ट विज्ञापन के अलोक में, JSLPS द्वारा सामुदायिक समन्वयक (प्रशिक्षु) की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। चयन प्रक्रिया के निर्धारित मापदंडों के आधार पर जिलेवार मेरिट लिस्ट बनाया गया है। इस नोटिस के माध्यम से सबंधित अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए जिलेवार मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। जिलेवार मेरिट लिस्ट को अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर दिए गए सबंधित लिंक (जिले के नाम वाली फाइल) को क्लिक करके देख सकते हैं। इस मेरिट लिस्ट को निम्नानुसार बताये गए स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया है।

1. अंतिम मेरिट लिस्ट को अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के 85 % weightage और मैट्रिकुलेशन में प्राप्त मान्य अंक प्रतिशत के 15 % weightage को संयुक्त रूप से जोड़ कर बनाया गया है।

2. रिजर्वेशन कट-ऑफ निम्नानुसार लिए गए हैं।

UR	ST	SC	BC I	BC II	PH
40%	32%	32%	34%	36.5%	32%

3. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस मेरिट लिस्ट के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है। वेरिफिकेशन की इस प्रक्रिया में निम्न सिंद्धान्तों की अनुपालना करते हुए अंतिम मेरिट लिस्ट को तैयार किया गया है।

   A. जिन अभ्यर्थियों ने सम्बंधित झारखण्ड राज्य के जिले (जिसके लिए उनका ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ था) का अपना व्यक्तिगत आवासीय प्रमाण पत्र की मूल कॉपी अथवा फोटोकॉपी प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने झारखंड राज्य के बाहर का आवासीय प्रमाण पत्र दिया है, उनको भी अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में जिस झारखण्ड के जिले को अपना स्थानीय जिला बताया लेकिन वेरिफिकेशन के दौरान किसी अन्य जिले का आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो उस दशा में उनको अयोग्य घोषित किया गया है। वर्तमान में , जिन अभ्यर्थियों ने सबंधित झारखण्ड राज्य के जिले के आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया है और उसका रिसीप्ट (Acknowledgement) प्रस्तुत किया है तो उनको औपबंधिक रूप से मेरिट लिस्ट में इस शर्त पे शामिल किया गया है कि वे मांगे जाने पर अपना मान्य आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने आवासीय प्रमाण पत्र की मात्र छायाप्रति प्रस्तुत की है अथवा ऐसा आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो नियोजन के अलावा अन्य उपयोग के लिए है अथवा ऐसा प्रमाण पत्र दिया है जो वांछित

पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं किया गया है, उन सभी को औपबंधिक रूप से मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी को, यदि योगदान देने हेतु बुलाये जाते हैं तब उन्हें वांछित आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो झारखण्ड सरकार के निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनका योगदान नहीं लिया जायेगा और उनकी जगह अगले योग्य अभ्यर्थी को योगदान देने हेतु बुला लिया जायेगा।

B. जिन अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन का लाभ मिला है उन्हें अपना व्यक्तिगत मान्य जाति प्रमाण पत्र, जो झारखण्ड सरकार के निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, को योगदान देने हेतु बुलाये जाने की दशा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी ने यदि ऐसा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो नियोजन के अलावा अन्य उपयोग के लिए है अथवा ऐसा प्रमाण पत्र दिया है जो वांछित पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं किया गया है, इस दशा में भी योगदान देने हेतु बुलाये जाने की दशा में उन्हें व्यक्तिगत मान्य जाति प्रमाण पत्र, जो झारखण्ड सरकार के निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। अगर ये दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किये जाते तो सम्बंधित अभ्यर्थी को (अन्य सब आर्हता पूरा किये जाने की दशा में) अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा। इस दशा में उनका मेरिट लिस्ट में स्थान बदल जायेगा अथवा मेरिट लिस्ट से नाम हट जायेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जिन्होंने अपना केटेगरी क्लेम करते हुए सम्बंधित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उनको उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट में स्थान दिया गया है। इसी के अनुसार मेरिट लिस्ट को अंतिम रूप से बनाया गया है।

C. जिन अभ्यर्थियों ने अपने मैट्रिकुलेशन का अंकपत्र प्रस्तुत नहीं किया है उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। जिन्होंने अपने मूल अंकपत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत की है उन्हें योगदान हेतु बुलाये जाने की दशा में मैट्रिकुलेशन का मूल अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी इसमें सफल नहीं होते तो उनकी उम्मीदवारी रद्द करते हुए उनकी जगह अगले योग्य अभ्यर्थी को योगदान देने हेतु बुला लिया जायेगा। अभ्यर्थियों का मैट्रिकुलेशन प्राप्तांक उनके द्वारा प्रस्तुत अंक पत्र के अनुसार चेक किया गया है। यदि कोई अंतर पाया गया तो सम्बन्धितं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत डॉक्यूमेंट के आधार पर मैट्रिकुलेशन प्राप्तांक अपडेट किया गया है। इसके परिणामस्वरूप यदि किसी अभ्यर्थी का मैट्रिकुलेशन प्राप्तांक 50 % से काम पाया गया है तो उन्हें नियमानुसार मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं मिला है।

D. उम्र का मापदंड उपरोक्त बताये गए विज्ञापन में प्रकाशित विवरणानुसार लिया गया है । मेरिट लिस्ट बनाने में जन्मतिथि का वेरिफिकेशन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मान्य प्रमाण पत्र के साथ किया गया है। इस दौरान जन्मतिथि में यदि कोई अंतर पाया गया तो सम्बन्धितं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत डॉक्यूमेंट के आधार पर जन्मतिथि अपडेट की गयी है। इसके परिणामस्वरूप यदि कोई निर्धारित उम्रसीमा के दायरे में नहीं आया तो उन्हें नियमानुसार

मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं मिला है। जिन अभ्यर्थियों के अंतिम स्कोर सामान आये हैं उन्हें उनके जन्मतिथि के अनुसार वरीयता दी गयी है।

E. दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थयों को राज्य सरकार के नियमानुसार मेरिट लिस्ट में स्थान दिया गया है। योगदान दिए जाने की दशा में सम्बंधित दिव्यांग अभ्यर्थी को अपनी दिव्यांगता का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर ये दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किये जाते तो सम्बंधित अभ्यर्थी को (अन्य सब आर्हता पूरा किये जाने की दशा में) दिव्यांग श्रेणी से हटा दिया जायेगा। इस दशा में उनका मेरिट लिस्ट में स्थान बदल जायेगा अथवा मेरिट लिस्ट से नाम हट जायेगा।

F. जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया अथवा अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया अथवा उपस्थिति पत्र पे अपने हस्ताक्षर नहीं किये , उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समस्त योग्य अभ्यर्थियों को दो बार मौका दिया गया। जो इन दो मौकों के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गयी है।

G. अभ्यर्थी ध्यान दें की योगदान देने हेतु बुलाये जाने पर सभी आवश्यक दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जायेगा। इस दौरान निर्धारित मान्य दस्तावेज की मूल प्रति नहीं प्रस्तुत किये जाने की दशा में सम्बंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये फैसला अंतिम होगा और इसके ऊपर अन्य कोई सुनवाई नहीं होगी।

4. मेरिट लिस्ट को तैयार करते हुए सभी आवश्यक जांच की गयी है। किसी भी त्रुटि की दशा में JSLPS प्रबंधन का ये अधिकार होगा की वो मेरिट लिस्ट में आवश्यक संसोधन मूल दस्तावेजों के मिलान और जांच के उपरांत करे ।

5 योगदान देने हेतु मेरिट लिस्ट के क्रमानुसार और रिक्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा। वेटलिस्ट के अभ्यर्थी को केवल भविष्य में सम्बंधित जिलों की रिक्तियों के आधार पर ही संपर्क किया जायेगा ।

JSLPS प्रबंधन
मानव संसाधन विभाग